आम सूचना

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार ने विक्रेता प्रकाश सैनी पुत्र श्री प्रभुलाल सैनी निवासी–सैय्यद सेमरा तहसील हुजुर जिला भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा क्रमांक 25/1,26/1,27/1 28/2, रकबा 0. 560 हेक्टेयर, भूमि–ग्राम –सैमर सैय्यद, प.ह.न. 29 तहसील हुजूर, जिला भोपाल स्थित है जिसको क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार ने बयाना राशि अदा कर दी है यदि उपरोक्त क्रय की जाने वाली भूमि या उसके किसी अंश भाग पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालयों का किसी भी प्रकार का कोई लेन देन हो अथवा उक्त सम्पत्ति कही विक्रय, दान, बन्धक, गिरवी, वसीयत, हस्तांतरण इत्यादि हो तो वह इस सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में प्रमाण सहित मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार का दावा दखल या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बन्धनकारी नहीं होगी और मेरे पक्षकार उपरोक्त भूमि का भुगतान कर विक्रय पत्र का पंजीयन कराने के लिए स्वतन्त्र होगे।

भवदीय **मंगेश खड़से** अधिवक्ता
कार्यालय-सी-214/ए, ओल्ड मिनाल रेसीडेंसी, जे.के. रोड, भोपाल मो.-7987946601

आम सूचना

कृषि भूमि खसरा नं.-213/1 (एस) 272/213,209/4/2 (एस) एवं 209/6 (एस) ग्राम-रलावती जिला सीहोर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्रीमती सौरमबाई पत्नी श्री इंदर सिंह कृषक ग्राम रलावती तहसील व जिला सीहोर के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नं. 213/1 (एस) 272/213 रकबा 1.1370 हेक्टेयर, खसरा नं. 209/4/2 (एस) रकबा 0.0680 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 209/6 (एस) रकबा 0.1340 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 1.339 हेक्टेयर अर्थात 3.30 एकड जो कि ग्राम रलावती, प.ह. हीरापुर तहसील सीहोर जिला सीहोर में स्थित है, को क्रय करने हेतु टोकन राशि का भुगतान कर दिया है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, गृह निर्माण समिति, बैंक, फर्म, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय को कोई आपत्ति हो या उक्त संपत्ति कहीं दान, बंधक, गिरवी, हस्तांतरण, विक्रय, अनुबंध इत्यादि हो तो वह व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेज उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा मेरे पक्षकार द्वारा उक्त वर्णित संपत्ति के विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करा लिया जायेगा, ऐसी स्थिति में कोई आपत्ति मान्य एवं स्वीकार नहीं होगी।

अजय तिवारी अधिवक्ता
ऑफिस-154, महेन्द्रा कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल मो.-9827227020

आम-सूचना का खण्डन

दैनिक भास्कर समाचार पत्र में अधिवक्ता श्री मोनू साहू द्वारा प्रकाशित आम सूचना दिनांक 11/06/2026 का खण्डन

में अपने पक्षकार श्री प्रेम नारायण कथोरिया आत्मज श्री बी.पी. कथोरिया की ओर से अधिकृत होकर दैनिक भास्कर समाचार पत्र में श्री मोनू साहू अधिवक्ता द्वारा प्रकाशित आम सूचना दिनांक 11/06/2026 का खण्डन एवं प्रतिवाद निम्नानुसार करता हूँ कि मेरे पक्षकार ने उनकी पत्नी श्रीमती शोभा कथोरिया पत्नी पी.एन. कथोरिया निवासी–122, प्रियांश होम्स, सी–सेक्टर इन्द्रपुरी भोपाल म.प्र. के नाम से संयुक्त परिवार के स्वत्व,स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक आवासीय भूखंड क्रं.–ए–13, कुल जिसका कुल क्षेत्रफल 25 गुणित 50 बराबर 1250 वर्गफीट जो कि खसरा क्रं.–72, 73, 74/2/1/1 एवं 77, 80/1/2/1 का अंश भाग होकर रजवाड़ा गार्डन के पीछे ग्राम–करोंदकलां, नगर निगम की सीमाओं के अंदर वार्डक्रमांक–78 तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है को क्रय करवाया था तथा जिसके सबंध में महोदय आप के द्वारा आम सूचना प्रकाशित कराई गई है जो कि विधि के विरूद्ध है उक्त भूखंड मेरे व मेरे बच्चे के साथ ही संयुक्त परिवार के स्वत्व स्वामित्व का है जिसको विक्रय करने का अधिकार मेरे पक्षकार की पत्नी को नहीं है उक्त आम सूचना का खण्डन करते है। अत: महोदय आपके पक्षकार को आप समझाईश दे कि उक्त संपत्ति संयुक्त परिवार की होने से उसे क्रय न करें और यदि उक्त संपत्ति को क्रय करते है तो मेरा पक्षकार उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आपके पक्षकार की होगी। तदानुसार सूचित हो।

महेश कुमार पाल भवदीय-अधिवक्ता
पाल लॉ चेम्बर-कार्यालय-पटेल मार्केट के सामने भानपुर चौराहा, विदिशा रोड, भोपाल
मो.-9669480151

जाहिर सूचना

व्यवसायिक प्लाट नंबर 20, स्थित सिग्नेचर बिजनेस पार्क, ग्राम भानपुर वार्ड नंबर 72, भोपाल के संबंध में।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा श्रीमती जसनीत कौर बग्गा पत्नी श्री मनीत सिंह बग्गा, वयस्क, निवासी ई–8/100, बसंतकुंज, भोपाल से उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पत्ति एक व्यवसायिक प्लाट नंबर 20, जिसका कुल क्षेत्रफल 3226.92 वर्गफिट अर्थात् 299.90 वर्गमीटर है तथा जो कि भूमि खसरा नंबर 41/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 41/1/1/1/1/1/2, कुल रकबा 1.036 हेक्टेयर का भाग है तथा जो सिग्नेचर बिजनेस पार्क, ग्राम भानपुर, वार्ड नंबर 72, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल में स्थित है, को क्रय करने हेतु बयाना राशि का भुगतान कर दिया है तथा वे शीघ्र ही उक्त प्लाट/सम्पत्ति का पूर्ण मूल्य चुकाकर उसकी रजिस्ट्री अपने नाम कराने जा रहे है। यदि उक्त क्रय–विक्रय में किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, व्यक्ति, संस्था, शासकीय, अशासकीय विभाग, नगर–निगम, नजूल आदि का कोई लेना–देना हो या उक्त सम्पत्ति किसी के पक्ष में बंधक, दान, गिरवी, अनुबंधित हो या किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना प्रकाशन से 07 दिन के अंदर अपनी लिखित आपत्ति मय दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। ऊपर वर्णित समयावधि में कोई आपत्ति न आने पर मेरे पक्षकार यह मानते हुए कि किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, उक्त प्लाट/सम्पत्ति की रजिस्ट्री उसका पूर्ण मूल्य चुकाकर अपने नाम करा लेंगे तथा भविष्य में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भवदीय **राजीव विमोटे** अधिवक्ता
कार्या.-चेम्बर नंबर टी-7, प्लाट नंबर 29-ए, तृतीय तल, राजा परिसर, जोन-II, एम.पी. नगर, भोपाल
फोन: 07554503607, 09827232096

जाहिर सूचना

(एक किता अव्ययपवर्तित व अविकसित कृषि भूमि जो खसरा क्रमांक 117/1/2 रकबा 0.070 हेक्टर ग्राम पिपलिया केशो, नगर निगम वार्ड क्रमांक 84, पटवारी हल्का क्र. 28 तहसील हुजूर जिला भोपाल)

मै अपने पक्षकार द्वारा अधिकृत करने से सर्व साधारण को सूचित करता हूँ की मेरे पक्षकार के द्वारा श्री अमन रूसिया पुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता की स्वामित्व व आधिपत्य की एक किता अव्ययपवर्तित व अविकसित कृषि भूमि जो खसरा क्रमांक 117/1/2 कुल रकबा 0.070 हेक्टर, ग्राम पिपलिया केशो, नगर निगम वार्ड क्रमांक 84, पटवारी हल्का क्र. 28 तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित एवं जिनकी चतुर्थ सीमाएं क्रमशा पूर्व–खसरा क्र. 117/२ की भूमि, पश्चिम–रास्ता व नहर, उत्तर–अजब सिंह की शेष भूमि, दक्षिण–निधि गुप्ता व अन्य की भूमि को भूमि स्वामी के अनुबंधकर्ता श्री सुनील सोनी पुत्र श्री राम गोपाल सोनी एवं श्री निहाल मीणा पुत्र श्री रूप सिंह मीणा से क्रय करने हेतु विक्रय अनुबंध निष्पादित कर टोकन राशि अदा कर दी गई है, यदि उपरोक्त प्लाट के क्रय–विक्रय से यदि किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था, कार्यालय, आदि को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के सात दिन के अंदर मय दस्तावेजो के संग मेरे कार्यालाय मे आपत्ति प्रस्तुत करे।

भवदीय **संदीप गांगुली** अधिवक्ता
भवदीय **तुषार गांगुली** अधिवक्ता
कार्यालय :- E-86 कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल। ब्रांच ऑफिस प्लाट नं 93-94 आर के टावर हबिब रेस्टोरेन्ट के पीछे हमीदी नगर भोपाल। मो.-9826089328, 7067614868

दैनिक भास्कर
सच्ची बात, बेधड़क

घर खरीदने से पहले सावधान !
वरना बढ़ सकते हैं कानूनी झंझट

घर खरीदना

जिंदगी का बड़ा सपना होता है, लेकिन छोटी सी लापरवाही भविष्य में लंबे कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए डील फाइनल करने से पहले इन बातों को गंभीरता से जांच लें

विक्रेता असली मालिक है या नहीं?
सिर्फ बातों पर भरोसा न करें। पिछले सभी डॉक्यूमेंट्स, सेल डीड और रजिस्ट्री रिकॉर्ड की पूरी जांच कराएं।

विरासत वाली प्रॉपर्टी है?
तो सभी परिवारजनों की लिखित NOC अवश्य लें, वरना बाद में कोई भी दावा कर सकता है।

कहीं लोन या कानूनी क्लेम तो नहीं?
एन्काम्ब्रेंस सर्टिफिकेट निकलवाकर यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति किसी बैंक या तीसरे पक्ष के कब्जे में तो नहीं।

मास्टर प्लान में जमीन का लैंड यूज सही है?
नगर नियोजन विभाग से पुष्टि कर लें कि जमीन रेजिडेंशियल उपयोग के लिए वैध है।

कृषि भूमि पर निर्माण?
कन्वर्शन ऑर्डर के बिना एक कदम भी आगे न बढ़ाएं, वरना निर्माण अवैध माना जा सकता है।

अपार्टमेंट खरीद रहे हैं?
बिल्डर के सभी अप्रूवल और RERA रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जरूर जांच लें।

डील प्राइस DLC रेट के अनुरूप है?
स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पूरी पारदर्शिता से कराएं, ताकि भविष्य में कोई टैक्स विवाद न हो।

"मैंने न्यायालय में सैकड़ों सम्पत्ति विवाद देखे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ -सम्पत्ति खरीदना केवल मूल्य या लोकेशन नहीं, बल्कि पूर्ण कानूनी सुरक्षा का विषय है।"
- महेंद्र शर्मा
सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश व पूर्व अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता आयोग, झुंझुनूं

इसलिए चुनें दैनिक भास्कर
जहां 'आम सूचना' प्रकाशित कर आप अपनी प्रॉपर्टी को बनाते हैं रिस्क फ्री और विवाद-मुक्त।

ऑनलाइन विज्ञापन बुकिंग BhaskarAd.com | कॉल 97720 19222

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने विक्रेतागण 1. श्री मुकेश मीणा पिता लक्ष्मीनारायण मीणा 2. श्री नारायण सिंह मीणा पिता लक्ष्मीनारायण मीणा 3. श्री तोफान सिंह मीणा पिता नंदराम मीणा 4. श्री शैतान पिता टीकाराम 5. श्री विजय मीणा पिता नंदराम मीणा 6. श्री हरिनारायण मीणा पिता नंदराम मीणा 7. जस्तोदा बाई पति लक्ष्मीनारायण 8. श्री ओमप्रकाश मीणा पिता लक्ष्मीनारायण मीणा 9. रुकमणी बाई पति नंदराम 10. नीलम सिंह बिसेन पति लाल बाबू सिंह बिसेन के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की संपत्ति:– छः किता भूमि (1) खसरा नंबर–2/2/2 (एस) रकबा 0.5960 हेक्टेयर (2) खसरा नंबर 3/1/2 (एस) रकबा 0.1220 हेक्टेयर (3) खसरा नंबर 3/1/1/1 (एस) रकबा 0. 3100 हेक्टेयर (4) खसरा नंबर 2/2/1/1 (एस) रकबा 0.4050 हेक्टेयर (5) खसरा नंबर 3/2/1 (एस) रकबा 0.9070 हेक्टेयर (6) खसरा नंबर 3/1/1/2 (एस) रकबा 0.4050 हेक्टेयर इस प्रकार कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.745 हेक्टेयर अर्थात 6.783 एकड़ भूमि जो कि ग्राम गेरूखेड़ी प.ह. नं – 36, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन में स्थित है उक्त संपत्ति क्रय करने के संबंध में विक्रेता को बयाना राशि अदा कर दिया गया है, उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी बैंक, संस्था, व्यक्ति, शासकीय, अशासकीय, वित्तीय संस्था का कोई स्वत्व, हित या रहन आदि हो तो उक्त संबंध में इस सूचना प्रकाशन के 7 (सात) दिवस के अंदर स्वत्व संबंधित मय दस्तावेज सहित मेरे कार्यालयीन समय में मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त अवधि पश्चात् मेरे पक्षकार द्वारा उक्त संपत्ति को अंतिम रूप से क्रय कर संपत्ति के स्वामी से अपने पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवा लिया जावेगा और निर्धारित अवधि पश्चात कोई भी आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी व मान्य नही होगी।

भवदीय **यशवंत मालवीय** अधिवक्ता नोटरी
कार्या.-शाप नंबर-10, आई एस बी टी परिसर भोपाल मो.नं. 9827020394

जाहिर सूचना

(एक किता भूमि, खसरा क्रं. 40/1/1/1/1 में से रकबा 0.1340 हेक्टेयर, जो कि ग्राम बड़खेड़ा नाथू, प.ह.नं.-33 तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है)

मैं मेरे पक्षकार मॉ अवंतिका कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर श्री हरीश चंद्र सूर्यवंशी, कार्यालय पता–26 सूरज कुंज, नियर कवि पेट्रोल पम्प, बरखेड़ा पठानी, 80 फिट रोड, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.) की ओर से अधिकृत एवं निर्देशित होकर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार ने संपत्ति स्वामी (1) श्रीमती सपना पलिया पत्नी श्री सुरेंद्र सोलंकी आयु वयस्क, (2) श्रीमती शिवांगी पिपरोलिया पत्नी श्री प्रदीप पालिया आयु वयस्क, (3) श्रीमती ललिता सौरईया पत्नी श्री दिनेश कुमार आयु वयस्क, एवं (4) श्रीमती आशा पिपरोलिया पत्नी श्री विजय कुमार पिपरोलिया आयु वयस्क, निवासीगण – ग्वालियर/हाल मुकाम भोपाल (म.प्र.), के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की एक किता भूमि खसरा क्रं. 40/1/1/1/1 कुल रकवा 1.1885 में से भूमि स्वामि के हिस्से 0.1790 हेक्टेयर में से 0.1344 हेक्टेयर भूमि, ग्राम बड़खेड़ा नाथू, प.ह.नं.–33, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.), में स्थित हैं। जिसे मेरे पक्षकार द्वारा क्रय करने हेतु सौदा कर टोकन राशि अदा कर दी गयी हैं। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म, सोसायटी, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय को कोई आपत्ति हो या उक्त संपत्ति का कही दान, बंधक, गिरवी, हस्तांतरन, विक्रय, विक्रय अनुबंध इत्यादि हो तो वह व्यक्ति, फर्म, बैंक अथवा संस्था इस सूचना प्रकाशन के 7 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेज उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा मेरे पक्षकार द्वारा उक्त वर्णित संपत्ति के विक्रय पत्र का पंजीयन, पंजीयन कार्यालय में अपने पक्ष मे करा लिया जायेगा, ऐसी स्थिति मे कोई भी आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी।

योगेन्द्र सिंह चावड़ा अधिवक्ता
त्रिलोक सिंह चावड़ा अधिवक्ता
कार्यालयः सी एए दीप श्री होम्स अवधपुरी थाने के सामने, अवधपुरी भेल भोपाल, मो.नं.-9827510650, 7440710100

जाहिर सूचना

एक किता आवासीय मकान जो कि प्लाट नंबर–107, म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल द्वारा रचना गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल, रचना नगर, गोविन्दपुरा, नगर निगम वार्ड क्रमांक 58, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र.।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्री अजय भाटिया आत्मज श्री इंदर लाल भाटिया, आयु–व्यस्क, निवासी–मकान नंबर 207, गौतम नगर, गोविंदपुरा, भोपाल म0प्र0 के मालिकाना हक एवं स्वामित्व का एक किता आवासीय मकान जो कि प्लाट नंबर–107, म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल द्वारा रचना गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल, रचना नगर, गोविन्दपुरा, नगर निगम वार्ड क्रमांक 58, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म. प्र. में स्थित है। उक्त मकान के प्लाट का कुल क्षेत्रफल 9.15 गुणित 15.25 बराबर 139.537 वर्गमीटर अर्थात 1500 वर्गफीट है। जिसके पूर्व दिशा में प्लाट क्रमांक–106, पश्चिम दिशा में प्लाट क्रमांक–108, उत्तर दिशा में 25 फिट चौड़ी सड़क एवं दक्षिण दिशा में प्लाट क्रमांक–112 है, को मेरे पक्षकार ने क्रय करने के लिये बयाना देकर सौदा तय कर लिया गया है, यदि उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, निगम, मंडल, बैंक, वित्तीय संस्था, फर्म, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय को कोई आपत्ति हो या उक्त संपत्ति का कहीं अनुबंध, विक्रय, दान, गिरवी, हिबा, हस्तांतरण इत्यादि हो तो वह व्यक्ति इस सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेज उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति का पंजीयन अपने पक्ष में करा लेगा, उक्त अवधि उपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवदीय **किशोर पटले** अधिवक्ता
ऑफिस क्रमांक 309, प्रथम तल बीडीए कॉम्पलेक्स, 07 नंबर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल म0प्र0
मो–9425021122, 9424482350

wef. April 2025

दैनिक भास्कर
आम सूचना
ग्रेटर भोपाल
भोपाल+होशंगाबाद+सागर
(प्रॉपर्टी संबंधित)
फिक्स साइज 12X4 cm
Rs. 12,000/- B/W
फिक्स साइज 12X4 cm
Rs. 13,000/- Colour
अन्य किसी साइज में
B/W/ Colour
@Rs. 650/- per sqcm
कोर्ट नोटिस
फिक्स साइज 12X4 cm
Rs. 14,000/-
अन्य किसी साइज में
B/W/ Colour
@Rs. 650/- per sqcm
सभी विज्ञापनों पर 5% GST अतिरिक्त
बुकिंग के लिए सम्पर्क करें
98931-91174

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय आठनेर, जिला-बैतूल

पता-ग्राम बरखेड़, हिडली रोड, आठनेर ई मेल- hegcathet@mp.gov.in

निविदा-सूचना

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, आठनेर, जिला-बैतूल (म.प्र.) महाविद्यालय हेतु प्रयोगशाला उपकरण (Lab Equipment) एवं स्मार्ट क्लास सामग्री (Smart Class Items) के क्रय के लिए मध्यप्रदेश शासन के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से द्वि-बिड प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा क्रमांक	निविदा प्रकाशन एवं ऑनलाइन बिड प्रारंभ	ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	तकनीकी बिड खोलने की तिथि
2026_HED_515970_1	16.06.2026	08.07.2026	10.07.2026

निविदा दस्तावेज, शर्तें एवं अन्य विवरण मध्यप्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल [mptenders.gov.in] (https://mptenders.gov.in) पर उपलब्ध हैं। निविदादाता निर्धारित समयावधि में केवल ऑनलाइन माध्यम से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय, आठनेर
जिला बैतूल (म.प्र.)

प्रेस-विज्ञाप्ति

वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र कोसमी-बैतूल में फ्लैटेड इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिस संबंध में उद्योग संचालनायल भोपाल के आदेशानुसार आवेदकों से (Expression of Interest) ई.ओ.आई हेतु राशि रू 20000/- विभागीय बजट शीर्ष 0851-00-101-6750 में जमा करवाये गये थे।

वर्तमान में उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा आवेदकों से ई.ओ.आई हेतु जमा राशि रु 20000/- वापस किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। अतः आवेदकों से निवेदन हैं कि उक्त राशि वापस प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज चॉलान की प्रति, बैंक पासबुक/कैंसिल चेक की प्रति, आधार कार्ड की प्रति लेकर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में जमा कर राशि ई-पेमेंट के माध्यम से प्राप्त करें।

उक्त् संबंध में आवश्यक जानकारी हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में संपर्क करें ।

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
बैतूल

G-14454/26 "सावधान साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नं. - 1930"

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा
अरेरा हिल्स, भोपाल,फोन नं. 0755-2550020

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु **ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा/सांकेतिक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित ऋणियों एव जमानतदारों से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु निम्न दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है:–

ई नीलामी दिनांक : 07.07.2026 (ई-नीलामी का समय : प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 06.07.2026 रात्रि 11.00 बजे तक

ऋणी/बंधनकर्ता का नाम एवं बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि	मांग नोटिस दि. / कब्जा दिनांक / बकाया राशि
निविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 25000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे। आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा | प्राधिकृत अधिकारी : श्री योगेश कृष्ण सक्सेना | फोन नं. 0755-2550020/9425013866		
श्रीमती मिनाक्षी पाराशर पत्नि श्री ऋषि पाराशर एवं श्री ऋषि पाराशर पुत्र श्री एल.पी. पाराशर संपत्ति का समस्त भू–भाग फ्लैट नं. बी–1, बेसमेंट प्लॉट नं. 419–बी (पुराना सीरियल नं. 420), ''शुभ अलीना'', कृष्णा करीम नगर, अर्थात के.के. नगर (सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्थान मर्या.) (अब सर्वधर्म, सेक्टर–बी), खसरा नं. 27/1 का भाग, ग्राम–दामखेड़ा, पह नं. 39, कोलार रोड, भोपाल। क्षेत्रफल– 800 वर्ग फिट अथवा 74.34 वर्ग मीटर। सीमाएँ :– पूर्व: फ्लैट नं. बी–2, पश्चिम : अन्य भूमि, उत्तर : खुला व कलियासोत नदी, दक्षिण: लॉबी। संपत्ति मालिक :– श्री ऋषि पाराशर पुत्र श्री एल.पी. पाराशर एवं श्रीमती मिनाक्षी पाराशर पत्नि श्री ऋषि पाराशर। (भौतिक आधिपत्य)	(₹) 11,65,000/- (₹) 1,16,500/-	09-01-2017 07-03-2019 ₹ 3102932.00 + दिनांक 01.01.2017 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स आपका स्टील इंडिया प्रा.लि. निदेशक 1.श्री रवि सिंह, 2. श्री दुगेश सरस्वत, 3. श्री अभिषेक राही (भौतिक आधिपत्य) 1. बंधक संपत्ति लीज़ होल्ड इंडस्ट्रीयल प्लाट नं.64, सेक्टर–ई, इंडस्ट्रीयल एरिया बगरोदा, जिला–भोपाल (म.प्र.)–462026 पर निर्मित, क्षेत्रफल : 930 वर्ग मीटर, सीमाएँ : पूर्व–प्लाट नं. 63, पश्चिम–प्लाट नं. 65, उत्तर–रोड, दक्षिण–प्लाट नं. 09	(₹) 47,77,000/- + (₹) 32,00,000/-	₹ 15732091.79 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
2. बैंक के वित्त से निर्मित संयंत्र और मशीनरी। संपत्ति मालिक : आपका स्टील इंडिया प्रा. लि. (नोट: संयुक्त रूप से बेची जाने वाली सभी संपत्ति और संयंत्र एवं मशीनरी तथा भूमि बकाया, पट्टा किराया आदि सहित अन्य शुल्क, यदि कोई हो, क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा एवं जीएसटी क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा जो नीलामी मूल्य के अतिरिक्त है)) (भौतिक आधिपत्य) संपत्ति 1 एवं 2 संयुक्त रूप से बेची जावेंगी।	कुल (₹) 79,77,000/- (₹) 7,97,700/-	
मेसर्स कालका साड़ी (भौतिक आधिपत्य) बंधक संपत्ति भूतल भाग ए नया 34/349, बैरागढ़ भोपाल, क्षेत्रफल : 1080 वर्ग फिट, सीमाएँ : पूर्व–क्वार्टर नं. 351, पश्चिम–क्वार्टर नं. 348, उत्तर– क्वार्टर का शेष भाग, दक्षिण– गली, संपत्ति मालिक : श्री कन्हैयालाल ऐलानी / श्री राजकुमार ऐलानी	(₹) 31,50,000/- (₹) 3,15,000/-	18-10-2017 21-06-2019 बकाया राशि मांग पत्र अनुसार
श्री मुकेश कुमार पाल पुत्र श्री जुम्मन सिंह एवं श्रीमती सरोज पाल बंधक सम्पत्ति रहवासी फ्लैट नं. 607, ए ब्लाक, छठवां तल, खसरा नं. 248/2 का भाग, ''आइकोन मेरेडीन'' ग्राम गेहूंखेड़ा, कोलार रोड, भोपाल, क्षेत्रफल 75.25 वर्ग मीटर। सीमाएँ :– पूर्व : फ्लैट नं. 608 ब्लाक ए, पश्चिम : फ्लैट नं. 606 ब्लाक ए, उत्तर :सीढ़ियां/लॉबी, दक्षिण : खुला. सम्पत्ति मालिक –श्री मुकेश कुमार। (सांकेतिक आधिपत्य)	(₹) 17,50,000/- (₹) 1,75,000/-	14-09-2018 03-12-2018 ₹ 2260330.88 + देय ब्याज एवं अन्य खर्च
मेसर्स जय श्री अशोका रोलर फ्लोर मिल इसके साझेदारों द्वारा प्रतिनिधित्व – श्री सुनील कुमार अग्रवाल, श्री विनोद कुमार अग्रवाल, श्री अजय कुमार अग्रवाल और श्रीमती भूमिका अग्रवाल जमानतदार : (1) श्री. विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबू राम अग्रवाल, (2) श्रीमती मंजुलता अग्रवाल पत्नी श्री विनोद कुमार अग्रवाल, (3) श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार अग्रवाल, (4) श्रीमती भूमिका अग्रवाल पत्नी श्री अजय कुमार अग्रवाल, (5) श्रीमती रजनी अग्रवाल पत्नी श्री सुनील अग्रवाल, (6) श्री सुधीर कुमार अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार अग्रवाल, (7) श्री सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबूराम जी अग्रवाल		10-09-2025 27-11-2025 एवं 01-12-2025 एवं 03-12-2025 ₹ 45841305.34 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
1. संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें मकान नं. 268, खसरा नं. 328, 330, 331/3, 329/1, 329/2, 333, 334/3/1/1, 334/3/1/2, 334/3/1/3, 334/3/1/4, 334/3/1/5, 334/3/2, 334/3/3, 336/1, 346/3 और 338/2/4, 335 का हिस्सा शामिल है, जो श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित द्वारा विकसित श्री राम कॉलोनी, ग्राम बावड़िया कलां, वार्ड नं. 52, मिसरोद रेलवे स्टेशन के पास, तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। क्षेत्रफल– प्लाट क्षेत्रफल– 1200 वर्ग फीट। , संपत्ति मालिक – श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबू राम एवं श्रीमती मंजुलता अग्रवाल पत्नी श्री विनोद कुमार अग्रवाल, सीमाएँ : पूर्व में– प्लाट नं. – 269, पश्चिम में– गणेश सोसाइटी का प्लाट, उत्तर में– प्लाट नं. – 267, दक्षिण में–6 मीटर चौड़ी सड़क। (सांकेतिक आधिपत्य)	(₹) 62,56,000/- (₹) 6,25,600/-	
2. संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें मकान नं. 114, खसरा नं.– 328, 330, 331/3, 329/1, 329/2, 333, 334/3/1/1, 334/3/1/2, 334/3/1/3, 334/3/1/4, 334/3/1/5, 334/3/2, 334/3/3, 336/1, 346/3 और 338/2/4, 335 का हिस्सा शामिल है, जो श्री राम कॉलोनी में स्थित है, श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित द्वारा विकसित, ग्राम बावड़िया कलां, वार्ड नं. 52, मिसरोद रेलवे स्टेशन के पास, तहसील हुजूर जिला भोपाल, (म.प्र.), क्षेत्रफल –1200 वर्ग फीट, संपत्ति मालिक – श्री सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबू राम अग्रवाल, सीमाएँ : पूर्व में– प्लाट नं – 115, पश्चिम में– प्लाट नं.113, उत्तर में– प्लाट नं– 106 और 107, दक्षिण में –9 मीटर चौड़ी सड़क। (सांकेतिक आधिपत्य)	(₹) 67,50,000/- (₹) 6,75,000/-	
3. संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें प्लाट नं. – 115, खसरा संख्या – 328, 330, 331/3, 329/1, 329/2, 333, 334/3/1/